

पत्रांक : वित्त-38/EIS-179 / 2024.....2844...../वि०

ई०-मेल

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

कर्ण सत्यार्थी,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 16/09/2024

विषय:-

Jharkhand Integrated Financial Management System (JIFMS) अन्तर्गत
Employee Profile Updation हेतु User Manual के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि DDO Level Bill Entry System के अन्तर्गत वेतन विपत्र प्रसंस्करण (Salary Bill Processing) हेतु Employee Master Database का उपयोग किया जाता है, जिसमें कर्मचारी से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विवरण, जैसे नाम, जन्म तिथि, सेवा में प्रवेश की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, पदनाम, वेतनमान, मूल वेतन, आधार संख्या, पैन संख्या, बैंक खाता विवरण, पदस्थापन विवरण एवं अन्य सेवा संबंधी विवरण संधारित किये जाते हैं।

Employee Master Data को नियंत्रित एवं सुरक्षित करने हेतु तथा अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकार का स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा SOP संख्या- 06/वि० दिनांक- 27.05.2026 (संलग्न) के अनुसार निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं:-

1. **Employee Basic Profile:-** इसमें निम्न Fields आते हैं, जो स्थायी होते हैं एवं जिनमें अति विशेष परिस्थिति में ही परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न होगी।

- (i) GPF No (ii) Name (iii) Date of Birth (iv) Date of Joining
(v) Date of Retirement/Date of Death (vi) Aadhar Number (vii) Pan Number
(viii) Mobile Number (ix) Gender (x) Category (General/OBC/ST/SC/EWS etc)
(xi) Employee Status (VRS/Dismiss/Death etc.) (xii) Employee Type
(AIS/Deputation) (xiii) Nominee Details

(A) कर्मचारी/पदाधिकारियों को जी०पी०एफ० नम्बर पेंशन एवं लेखा निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर से Allot किया जाता है। साथ ही पेंशन एवं लेखा निदेशालय वित्त विभागीय पत्रांक- 651 दिनांक- 24.04.2024 के आलोक में नाम में संशोधन की कार्रवाई जी०पी०एफ० निदेशालय द्वारा की जाती है। यह व्यवस्था लागू रहेगी।

- (B) उक्त के अतिरिक्त क्रमांक (iii) से (xiii) के Fields जिन्हें DDO के द्वारा एक बार Freeze कर दिया गया है। उनमें सुधार हेतु Employee के द्वारा Employee Portal (URL- <https://jkuber.jharkhand.gov.in/emp/>) के माध्यम से प्राप्त Online Request को संबंधित DDO के द्वारा पेंशन एवं लेखा निदेशालय को Online अग्रसारित किया जाएगा। तदुपरांत पेंशन एवं लेखा निदेशालय द्वारा उक्त Fields Online संशोधित किए जायेंगे।
- (C) नये कर्मियों के मामले में उक्त सभी Fields पेंशन एवं लेखा निदेशालय द्वारा ही GPF No. आवंटन के समय Entry किये जाएंगे एवं भविष्य में किसी प्रकार का संशोधन भी Employee एवं DDO से प्राप्त Online अनुरोध के आलोक में पेंशन एवं लेखा निदेशालय के स्तर से किया जाएगा।

2. Employee Posting and Salary Profile- इसमें निम्न Fields आते हैं जिनमें स्थानांतरण/प्रोन्नति/ACP/MACP/Pay Revision आदि के कारण समय-समय पर परिवर्तन की आवश्यकता होती है:-

- (i) Designation (ii) Place of Posting (iii) Basic Pay (iv) Pay Band (v) Pay Scale (vi) Grade Pay (vii) Pay Commission (viii) Pay Level (ix) E-mail ID (x) Bank Account Number & IFSC code
- (A) उपरोक्त में संशोधन हेतु Employee Portal (URL – <https://jkuber.jharkhand.gov.in/emp/>) से संबंधित कर्मचारी द्वारा Online Request DDO को समर्पित किया जाएगा, संबंधित DDO द्वारा Online अनुमोदन के उपरांत उक्त Profile में संशोधन हो जाएगा। संशोधनोपरांत उक्त Change की सूचना Employee को SMS के माध्यम से भी दी जाएगी।
- (B) वैसे पदाधिकारी जिनका महालेखाकार कार्यालय अथवा वित्त विभाग के द्वारा Payslip निर्गत किया जाता है उनके Payslip के आधार पर उपरोक्त क्रमांक 2(i) से 2(viii) में Online संशोधन की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। साथ ही तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के लिए भी वेतन निर्धारण/सत्यापन की Online व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। उक्त Online Module के प्रारंभ होने पर उनके Profile 2(i) से 2(viii) में भी उसी Module के आधार पर Online updation/संशोधन हो जाएगा।

उक्त SOP के आलोक में Jharkhand Integrated Financial Management System (JIFMS) अन्तर्गत Employee Profile Updation हेतु व्यवस्था वर्तमान में Live कर दी गयी है एवं इस हेतु तैयार User Manual इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त User Manual के आलोक में Employee Profile संशोधित/अद्यतन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सभी संबंधित को निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(कर्ण सुब्योर्थी)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक : वित्त-38/EIS-179 / 2024.2844...../वि0 राँची दिनांक 16/09/2026

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कर्ण सुब्योर्थी)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक : वित्त-38/EIS-179 / 2024.2844...../वि0 राँची दिनांक 16/09/2026

प्रतिलिपि:- श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, सिनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, पी0एम0यू0 कोषांग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कर्ण सुब्योर्थी)

सरकार के अपर सचिव।